बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

विषयः - योजना काल में स्वीकृत स्कीमों के कालान्तर में जो गैर योजना स्कीम के रूप में परिवर्तित करने के पूर्व समीक्षा हेतु त्रि-सदस्यीय मोनिटरिंग समिति का गठन।

पंच वर्षीय योजना काल में वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमें स्वीकृत की जाती हैं, जो पंच वर्षीय योजना काल के बीतने के बाद, कालान्तर में, गैर-योजना स्कीमों में परिवर्तित होती हैं। सरकार चाहती है कि ऐसी गैर-योजना स्कीमों को चालू रखने के लिए समय समय पर उनकी स्क्रूटिनी की जाय। अभी इन स्कीमों को चालू रखने के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाती है। सरकार का निर्देश है कि भविष्य में इन स्कीमों के बारे में छानबीन के पश्चात् ही वित्त विभाग में इन्हें चालू रखने के लिए सहमति दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त उद्देश्य से सरकार द्वारा एक त्रि-सदस्यीय प्राधिकृत समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. विकास आयुक्त - अध्यक्ष
2. वित्त सचिव - सदस्य
3. विभागीय सचिव - सदस्य

2. उपर्युक्त त्रि-सदस्यीय समिति ऐसी सभी स्कीमों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी, जो पंच वर्षीय काल की समाप्ति के बाद गैर-योजना स्कीमों के रूप में परिवर्तित होने वाली हैं। इस समिति को अधिकार होगा कि सरकार की ओर से अंतिम सहमति दे सकें। तदनुसार इस समिति को ऐसे उद्देश्य हेतु प्राधिकृत समिति समझा जायगा। जहाँ मंत्रिमंडल की स्वीकृति अपेक्षित है वहाँ इस समिति की अनुशंसा के साथ मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जायगी। बिना त्रि-सदस्यीय प्राधिकृत समिति की सहमति के, कोई भी पूर्व स्वीकृत योजना स्कीम, गैर-योजना स्कीम में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

आदेश

" आदेश दिया जाता है कि सभी विभागों की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिला दंडाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
सरकार के मुख्य सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं०- 2640 , पटना-15, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985 ई० ।

प्रतिलिपि विकास आयुक्त/ सचिव, वित्त विभाग/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

भास्कर बैनर्जी

(भास्कर बैनर्जी) 28/12

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०- 2640 पटना-15, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985 ई० ।

प्रतिलिपि सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/ सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलायुक्त/ सभी जिला दंडाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

भास्कर बैनर्जी

(भास्कर बैनर्जी) 28/12

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०- 2640 पटना-15, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985 ई०

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में मुद्रित कर 500 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी जाय ।

भास्कर बैनर्जी

(भास्कर बैनर्जी) 28/12

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०- 2640 पटना-15, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985

प्रतिलिपि श्री राधा कृष्ण प्रसाद सिन्हा, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित (Quarterly Bulletin के लिये)।

भास्कर बैनर्जी

(भास्कर बैनर्जी) 28/12

सरकार के सचिव ।

रा.

W